



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 4247/2023

सुरक्षित रखने का दिनांक : 18/09/2025

पारित करने का दिनांक : 19/11/2025

1- कु. प्रभा टोप्पो, पिता श्री याकुब टोप्पो, आयु लगभग 34 वर्ष, वर्तमान में उप-अभियंता के पद पर पदस्थ, नगर पालिक निगम ज़ोन-1, नेहरू नगर, भिलाई, जिला- भिलाई (छत्तीसगढ़)

... याचिकाकर्ता(गण)

विरुद्ध

1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2- आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

3- जाँच समिति, द्वारा: आयुक्त-सह-अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

4 - सचिव, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

5- महापौर, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

...उत्तरवादीगण

(वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री वेदांत षडंगी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से : सुश्री सुइता साहू, पैनल अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से : श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता

एकलपीठ- माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सीएवी आदेश

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी प्राधिकारियों की मनमानी, अन्यायपूर्ण और त्रुटिपूर्ण कार्रवाई से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ़ में दिनांक 20.10.2022 को आयोजित जांच समिति/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में याचिकाकर्ता को उप-अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंसा किए जाने के बावजूद, उत्तरवादीगण ने पदोन्नति को केवल एक दाण्डिक प्रकरण के लंबित होने के आधार पर सीलबंद लिफाफे



में रखा है। जो कि पूर्णतः उत्तरवादी प्राधिकारियों की निष्क्रियता और विलंब के कारण कई वर्षों से स्थिर पड़ा हुआ है तथा अभियोजन रहित बना हुआ है।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:-

"10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी राज्य को सीलबंद लिफाफा खोलने तथा याचिकाकर्ता की उप-अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उम्मीदवारी पर जांच समिति की बैठक/डी.पी.सी. दिनांक 20.10.2022 के प्रभाव से विचार करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी राज्य को याचिकाकर्ता के सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लाभों को उस तिथि 20.10.2022 से प्रदान करने पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे, जब से याचिकाकर्ता पदोन्नति हेतु पात्र थी, एवं आगामी उच्चतर पदोन्नति पद हेतु वरिष्ठता और उम्मीदवारी पर समस्त पारिणामिक लाभों सहित विचार करने की कृपा करे।

10.3 अन्य कोई अनुतोष, जो यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए, जिसमें याचिका का व्यय भी शामिल हो।"

3. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 24.11.2011 को नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) में उप-अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उनका स्थानांतरण नगर पालिक निगम, जोन-1, भिलाई में कर दिया गया। रायगढ़ में उनकी सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता सहित कई कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार और भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 27.10.2016 को एक पत्र जारी किया गया था और आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा दिनांक 07.11.2016 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात, थाना सिटी कोतवाली, रायगढ़ में भा.दं.सं. की धारा 420, 409/34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ), 13(2) के अधीन एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई, जिसके लिए याचिकाकर्ता को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2017 को अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। हालाँकि, उनके विरुद्ध कभी भी कोई आरोप पत्र, कारण बताओ नोटिस या विभागीय जांच शुरू नहीं की गई। दिनांक 27.05.2022 को समयमान वेतनमान (लेवल-12) प्रदान किए जाने के बावजूद, दिनांक 20.10.2022 की डी.पी.सी. बैठक में विचारित उनके पदोन्नति के प्रकरण को वर्ष 2016 से लंबित कार्यवाहियों के कारण सीलबंद लिफाफे में रखा गया। तत्पश्चात, दिनांक 26.04.2023 की मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में कथित कदाचार से संबंधित कार्यवाही को जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की पदोन्नति को अनिश्चित काल के लिए मनमाने ढंग से स्थगित रखा गया है।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का सविनय तर्क है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में तत्कालीन आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 24.11.2011 के माध्यम से नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) के अधीन उप-अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में वह स्थानान्तरण के पश्चात नगर पालिक निगम, ज़ोन-I, नेहरू नगर, भिलाई (छ.ग.) में उप-अभियंता के रूप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। रायगढ़ में उनके कार्यकाल के दौरान, नगर पालिक निगम के कुछ प्राधिकारियों के विरुद्ध कदाचार और भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए गए थे, जिनमें याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रारंभिक जांच के आधार पर याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी पाया गया, और परिणामस्वरूप, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ने पत्र दिनांक 27.10.2016 के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन का आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया। उक्त संचार पर कार्रवाई करते हुए, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ ने आदेश दिनांक 07.11.2016 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात, उपरोक्त आदेश के आधार पर, थाना सिटी कोतवाली, रायगढ़ (छ.ग.) में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409/34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (घ) एवं 13(2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया, जिसमें गिरफ्तारी की आशंका होने पर याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे एमसीआरसीए क्रमांक 1186/2016 (कु. प्रभा टोप्पो विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य) के रूप में दर्ज किया गया, और दिनांक 06.01.2017 के आदेश द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की गई। यह सविनय तर्क किया गया है कि उक्त आरोपों और बाद के घटनाक्रमों के बावजूद, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कभी कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई; उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही कोई आरोप पत्र तामील कराया गया; सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आरोप पत्र तैयार या सूचित नहीं किया गया और न ही किसी प्रतिकूल कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उनका नाम बिना किसी पुख्ता सबूत के, केवल असत्यापित शिकायतों और अनुमानों के आधार पर गलत तरीके से इस विवाद में घसीटा गया है।

5. यह आगे तर्क किया गया है कि, इसके पश्चात, याचिकाकर्ता का कार्य-प्रदर्शन और सेवा अभिलेख संतोषजनक बना रहा, तथा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से उन्हें लेवल-12 में समयमान वेतनमान प्रदान किया गया, जिसमें उनका नाम क्रम संख्या 10 पर अंकित है। तत्पश्चात, उनकी पदोन्नति के प्रकरण पर विचार करते हुए, अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई ने पत्र दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ से पदोन्नति की कार्यवाही के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका अग्रेषित करने का अनुरोध किया, जिसका अनुपालन करते हुए उसे विधिवत प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 20.10.2022 को एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पदोन्नति के प्रकरण पर विचार किया गया। हालांकि, गुण-दोष के आधार पर इस पर निर्णय लेने के बजाय, उत्तरवादीगण ने इस आधार पर



उनके प्रकरण को सीलबंद लिफाफे में रखने का विकल्प चुना कि पत्र दिनांक 27.10.2016 और 07.11.2016 के माध्यम से उनके विरुद्ध शुरू की गई कुछ कार्यवाहियां लंबित थीं। इसके बाद, दिनांक 26.04.2023 को नगर पालिक निगम, रायगढ़ की मेयर-इन-काउंसिल की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की पदोन्नति जिसे सीलबंद लिफाफे में रखा गया था सहित विभिन्न प्रशासनिक प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया, और वर्ष 2016 के कथित कदाचार से संबंधित उक्त कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

6. याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तरवादीगण द्वारा बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के प्रारंभ हुए या आरोप-ज्ञापन जारी किए बिना, सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का सहारा लेकर उनकी पदोन्नति रोकना पूर्णतः मनमाना, भेदभावपूर्ण और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 60(2) सह-पठित खंड (5) में निहित वैधानिक अधिदेश का उल्लंघन है। उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि पदोन्नति रोकने सहित कोई भी दण्ड अधिरोपित करने से पूर्व, संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। हालाँकि, उत्तरवादी इस वैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहे और सीधे याचिकाकर्ता की पदोन्नति रोकने का मार्ग अपनाया, जिससे उन्होंने विधि के विपरीत कार्य किया है। याचिकाकर्ता का आगे यह निवेदन है कि समान तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इसी नगर पालिक निगम, रायगढ़ में सहायक ग्रेड-II के पद पर पदस्थ एक अन्य कर्मचारी श्री अनिल कुमार वाजपेयी के नाम पर सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया था। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016 में उनके विरुद्ध भी समान अभियोजन स्वीकृति मांगे जाने के बावजूद, दिनांक 16.12.2021 को आयोजित डी.पी.सी. ने उनकी पदोन्नति की अनुशंसा की, और तत्पश्चात आदेश दिनांक 24.06.2022 के द्वारा उन्हें उच्चतर पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अभिलेख से यह विदित है कि नगर पालिक निगम को श्री वाजपेयी के विरुद्ध अभियोजन संबंधी कोई सामग्री या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह और श्री वाजपेयी दोनों एक ही स्थिति में थे; फिर भी जहाँ उन्हें पदोन्नत किया गया, वहीं याचिकाकर्ता के प्रकरण को अधर में रखा गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में प्राधिकारियों द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण भेदभाव और शक्ति के मनमाने प्रयोग का स्पष्ट उदाहरण है।

7. याचिकाकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *भारत संघ व अन्य विरुद्ध अनिल कुमार सरकार, (2013) 4 एससीसी 161* के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या दाण्डिक कार्यवाही तभी शुरू हुई मानी जाएगी, जब अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-ज्ञापन या दाण्डिक अभियोजन में आरोप-पत्र कर्मचारी को जारी कर दिया गया हो। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि याचिकाकर्ता को कभी भी कोई आरोप-ज्ञापन, आरोप-पत्र या दोषारोपण का अनुच्छेद जारी नहीं किया गया था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई विभागीय या दाण्डिक कार्यवाही लंबित थी, जिसके आधार पर सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया



अपनाने या पदोन्नति रोकने को न्यायोचित ठहराया जा सके। अतः, कार्यवाहियों के किसी भी औपचारिक प्रारंभ के अभाव में, उत्तरवादीगण की कार्यवाही अवैध, मनमानी, भेदभावपूर्ण और विधि की दृष्टि में असंधारणीय है। तदनुसार, याचिकाकर्ता की यह प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय न्याय के हित में उत्तरवादीगण को सीलबंद लिफाफा खोलने तथा नियत तिथि से समस्त पारिणामिक लाभों सहित उन्हें पदोन्नति प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे।

8. उत्तरवादी क्रमांक 1 - राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह सविनय तर्क कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत की है, जो उत्तरवादी प्राधिकारियों की उस कथित निष्क्रियता से व्यथित है, जिसके कारण दिनांक 20.10.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की अनुशंसा के बावजूद उसे नगर पालिक निगम, रायगढ़ में उप-अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, यद्यपि उसके विरुद्ध एक दाण्डिक प्रकरण लंबित होने के कारण इसे सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। यह तर्क किया गया है कि जहाँ तक उत्तरवादी राज्य शासन का प्रश्न है, वर्तमान याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में सारहीन है और प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप या वाद-कारण नहीं बनता है। याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के मुख्य भाग में उत्तरवादी के विरुद्ध लगाए गए सभी प्रतिकूल आरोपों का स्पष्टतः और पुरजोर विरोध किया जाता है। अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन से यह विदित होता है कि राज्य के विरुद्ध न तो किसी विशिष्ट अनुतोष का दावा किया गया है, और न ही किसी विलोपन या कृत्य का उत्तरदायित्व राज्य पर मढ़ा गया है। याचिकाकर्ता स्वीकार्य रूप से नगर पालिक निगम, रायगढ़ की कर्मचारी है, जो कि एक पृथक वैधानिक निकाय है, और पदोन्नति सहित उसकी सेवा से संबंधित सभी प्रशासनिक निर्णय विशेष रूप से उक्त निगम के अधिकारिता में आते हैं। तदनुसार, उत्तरवादी/राज्य वर्तमान कार्यवाही में केवल एक औपचारिक और प्रोफॉर्मा पक्षकार है। यह आगे तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य और वास्तविक अनुतोष अन्य उत्तरवादीगण, अर्थात् नगर पालिक निगम, रायगढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसने इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचारार्थ पहले ही अपना विस्तृत जवाब/रिटर्न प्रस्तुत कर दिया है। अतः, उत्तरवादी सम्मानपूर्वक उक्त उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा अपने रिटर्न में दिए गए तर्कों, कथनों और रुख को इस जवाब के उद्देश्य हेतु यथावश्यक परिवर्तन सहित स्वीकार करता है, और संक्षिप्तता के लिए उसकी अलग प्रति संलग्न नहीं कर रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह सविनय निवेदन है कि उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य के संबंध में यह रिट याचिका विधि और तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है और इसे **खारिज** किया जाना चाहिए।

9. उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह सविनय तर्क है कि याचिकाकर्ता ने उप-अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर अपनी पदोन्नति में हुए कथित विलंब को इस आधार पर चुनौती दी है कि दिनांक 20.10.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की अनुशंसा के बावजूद, एक दाण्डिक प्रकरण के लंबित होने के कारण उनके मामले को सीलबंद लिफाफे में



रखा गया है। यह तर्क किया गया है कि सहायक अभियंता के पद का शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 02.09.2016 का है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2018, कवरिंग पत्र दिनांक 31.01.2018 के साथ जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र दिनांक 27.08.2020 के माध्यम से प्रत्येक चयन, पदोन्नति या संवीक्षा समिति में एक महिला सदस्य को शामिल करना अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया था। इसके अनुपालन में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने आदेश दिनांक 16.03.2021 के द्वारा कु. यज्ञ सिदार, उप-अभियंता को समिति की महिला सदस्य के रूप में शामिल किया। पुनः दिनांक 08.04.2021 को समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति और पदक्रम सूची को अंतिम रूप देने से संबंधित प्रकरणों के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसमें कु. यज्ञ सिदार, उप-अभियंता को महिला सदस्य नियुक्त किया गया था। डी.पी.सी. की बैठकें दिनांक 18.04.2023 दोपहर 3:00 बजे और 08.06.2023 दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गईं, जिनमें कुछ कर्मचारियों जैसे श्री अनिल बाजपेई, श्री राजेश पाण्डेय और श्री श्यामलाल पटेल के सेवा अभिलेखों, डी.पी.सी. की कार्यवाहियों और लंबित मुद्दों पर विचार किया गया। इसके अलावा, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ ने सीधी भर्ती, समयमान वेतनमान और पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार करने के लिए दिनांक 07.12.2021 को एक समिति गठित की थी, जिसमें भी कु. यज्ञ सिदार, उप-अभियंता को महिला सदस्य नियुक्त किया गया था। दिनांक 20.10.2022 को महापौर द्वारा गठित डी.पी.सी. द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें दो पात्र उम्मीदवारों, श्री अरविंद राहुल और श्रीमती प्रभा टोप्पो (याचिकाकर्ता) के नामों पर विचार किया गया, और दोनों को पदोन्नति के लिए सक्षम और उपयुक्त पाया गया। हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 248/2016 लंबित था, जिसमें दिनांक 07.11.2016 को अभियोजन स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए समिति ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव पारित किया, साथ ही यह टिप्पणी की कि सीलबंद लिफाफा केवल उनकी दोषमुक्ति के बाद ही खोला जा सकता है और पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है; दिनांक 20.10.2022 के डी.पी.सी. कार्यवृत्त की प्रति **अनुलग्नक आर-2/8** के रूप में संलग्न है। यह आगे तर्क किया गया है कि प्रश्नाधीन विभागीय पदोन्नति समितियाँ अपने गठन और विचार के दायरे में भिन्न और स्वतंत्र थीं, जो उनके निर्णयों में भिन्नता को स्पष्ट करती हैं। अतः, दायित्व प्रकरण के समापन तक याचिकाकर्ता के प्रकरण को सीलबंद लिफाफे में रखने में उत्तरवादी की ओर से कोई भेदभाव, मनमानापन या दुर्भावना नहीं है। उत्तर देने वाले उत्तरवादी की कार्रवाई लागू सेवा नियमों, शासकीय परिपत्रों और स्थापित प्रशासनिक पद्धति के पूर्ण अनुरूप है; इसलिए, कोई अवैधता या अनियमितता नहीं बरती गई है, और रिट याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण किया है।



11. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध क्रमांक 248/2016 के रूप में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई है। यह भी विवादित नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2016 को अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि कार्यवाहियां स्थिर हैं और कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है; इसलिए, सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया लागू नहीं होनी चाहिए। यह न्यायालय उक्त तर्क में सार पाता है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने हेतु, केवल स्वीकृति और प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने पर भ्रष्टाचार के लिए दण्डिक कार्यवाही शुरू होना, नियोक्ता द्वारा सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत **भारत संघ विरुद्ध के.वी. जानकीरमन (1991) 4 एससीसी 109** में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि पदोन्नति पर विचार के समय कोई कर्मचारी दण्डिक प्रकरण या विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहा है, तो नियोक्ता ऐसी कार्यवाही समाप्त होने तक डी.पी.सी. के निष्कर्षों को सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए न्यायोचित है।

12. इसी प्रकार, **भारत संघ व अन्य विरुद्ध डॉली लोई, 2024 एससीसी आनलाइन एससी 2613** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है, और उक्त निर्णय के सुसंगत कण्डिकाएँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“20. इस न्यायालय के समक्ष विचार हेतु मुख्य विवादक यह है: “क्या केवल अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने मात्र से यह कहा जा सकता है कि उत्तरवादी शासकीय सेवक के विरुद्ध दण्डिक आरोप हेतु अभियोजन लंबित है, और क्या अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करना, डी.पी.सी. की अनुशंसाओं को सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए एक वैध आधार हो सकता है?”

21. इस विवादक से संबंधित दिनांक 14 सितंबर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके अन्तर्गत डी.पी.सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, शासकीय सेवकों की तीन श्रेणियों के संबंध में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, अर्थात: वे शासकीय सेवक जो निलंबन के अधीन हैं; वे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है और अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; तथा वे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध दण्डिक आरोप हेतु अभियोजन लंबित है।

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक सुसंगत तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी का प्रकरण उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के तीसरे खंड के अंतर्गत आता है, अर्थात वे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध दण्डिक आरोपों हेतु अभियोजन



लंबित है। अतः, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या केवल अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त होगा कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध दायित्विक आरोप हेतु अभियोजन लंबित था। इसी प्रकार का प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ विरुद्ध के.वी. जानकीरमन के प्रकरण में विचार हेतु आया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया केवल आरोप-ज्ञापन / आरोप-पत्र जारी होने के बाद ही अपनाई जानी चाहिए। उसका सुसंगत अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

16. प्रथम प्रश्न के संबंध में, अर्थात् सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक/दायित्विक कार्यवाही कब प्रारंभ हुई मानी जाएगी, अधिकरण की पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-ज्ञापन या दायित्विक अभियोजन में आरोप-पत्र जारी कर दिया जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि विभागीय कार्यवाही/दायित्विक अभियोजन कर्मचारी के विरुद्ध शुरू हो गया है। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया केवल आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी होने के बाद ही अपनाई जानी चाहिए। उस चरण से पूर्व प्रारंभिक जांच का लंबित होना प्राधिकारियों को सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने के लिए सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। हम इस बिंदु पर अधिकरण से सहमत हैं। अपीलार्थी-प्राधिकारियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क हमें प्रभावित नहीं करता कि जब गंभीर आरोप हों और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने तथा आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र तैयार करने और जारी करने में समय लगता है, तो प्रशासन की शुचिता के हित में कर्मचारी को पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि से पुरस्कृत करना उचित नहीं होगा। इस तर्क को स्वीकार करने का परिणाम कई प्रकरणों में कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। जैसा कि अब तक का अनुभव रहा है, प्रारंभिक जांच में अत्यधिक लंबा समय लगता है और विशेष रूप से जब वे स्वार्थी व्यक्तियों के कहने पर शुरू की जाती हैं, तो उन्हें जानबूझकर लंबित रखा जाता है। कई बार उनके परिणामस्वरूप कभी कोई आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी ही नहीं होता। यदि आरोप गंभीर हैं और अधिकारी उनकी जांच के प्रति गंभीर हैं, तो सामान्यतः सुसंगत साक्ष्य एकत्र करने और आरोपों को अंतिम रूप देने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि आरोप इतने गंभीर हैं, तो प्राधिकारियों के पास संबंधित नियमों के अधीन कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति है, और निलंबन स्वयं सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने की अनुमति देता है। इस प्रकार अधिकारी उपचार-विहीन नहीं हैं।





23. इस चरण पर, यह उल्लेख करना सुसंगत है कि कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार ने के.वी. जानकीरमन (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 2 नवंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उस चरण के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं जब किसी दाण्डिक आरोप हेतु अभियोजन को लंबित माना जा सकता है। दिनांक 2 नवंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के कण्डिका क्रमांक 6 और 8 निम्नानुसार हैं:

6. जब कोई शासकीय सेवक संदेह के घेरे में आता है, तो वह तीन चरणों से गुजर सकता है, अर्थात् दाण्डिक आरोप के संबंध में जांच, विभागीय कार्यवाही और अथवा दाण्डिक आरोपों का अभियोजन, जिसके पश्चात् या तो दंड/दोषसिद्धि अथवा निर्दोष मुक्ति/बरी होना होता है। अनुशासनिक कार्यवाही या अभियोजन में आरोप-पत्र जारी होने से पूर्व जांच के चरण के दौरान, यदि शासन का यह मत है कि आरोप गंभीर हैं और अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए, तो शासन के लिए अधिकारी को निलंबित करने का विकल्प खुला है, जिसके परिणामस्वरूप डी.पी.सी. की अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया केवल आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी होने के बाद या अधिकारी को निलंबित किए जाने के बाद ही अपनाई जानी चाहिए। उस चरण से पूर्व प्रारंभिक जांच का लंबित होना सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया को अपनाने की अनुमति नहीं है।

24. उपरोक्त स्थिति पर विचार करते हुए, किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक/दाण्डिक कार्यवाही तभी शुरू हुई मानी जा सकती है, जब अनुशासनिक कार्यवाही में कर्मचारी को आरोप-ज्ञापन जारी कर दिया गया हो या सक्षम न्यायालय में दाण्डिक अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया केवल आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी होने के पश्चात ही अपनाई जानी चाहिए। जांच का लंबित होना और अभियोजन स्वीकृति का प्रदान किया जाना प्राधिकारियों को सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने के लिए सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा।”

13. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत याचिकाकर्ता के संबंध में डी.पी.सी. रिपोर्ट तैयार करने में अपनाई गई प्रक्रिया विधि के अनुरूप नहीं थी।

14. हस्तगत प्रकरण पर लौटते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध उल्लेखित अपराधों के लिए अपराध क्रमांक 248/2016 के अन्तर्गत एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई है। तत्पश्चात, राज्य शासन द्वारा दाण्डिक



प्रकरण के अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। हालांकि, आज की तिथि तक, न तो सक्षम अधिकारिता के दायित्व न्यायालय के समक्ष कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, और न ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच शुरू की गई है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा सीलबंद लिफाफे के उपयोग की प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता है।

15. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, डी.पी.सी. रिपोर्ट का सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा। यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र पाई जाती हैं, तो उन्हें दिनांक **20.10.2022** (वह तिथि जिस दिन समान स्थिति वाले व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई थी) से **सहायक अभियंता** के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता ऐसी पदोन्नति से उद्भूत होने वाले सभी पारिणामिक लाभों की हकदार होंगी, जिसमें पदोन्नत पद पर वेतन का निर्धारण, नियत तिथि से वरिष्ठता, और विलंबित पदोन्नति के कारण प्रोद्भूत वेतन का बकाया शामिल है। उत्तरवादीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सीलबंद लिफाफा खोलने की तिथि से तीन माह के भीतर सभी बकाया और अन्य मौद्रिक लाभ याचिकाकर्ता को जारी कर दिए जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तरवादीगण विधि के अनुरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी दायित्व या विभागीय कार्यवाही को प्रारंभ करने या जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

16. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका **स्वीकार** की जाती है।

सही / -
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

वह तिथि जब निर्णय सुरक्षित रखा गया	वह तिथि जब निर्णय उद्घोषित किया गया	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया गया	
		प्रवर्तनीय	पूर्ण
18/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

